3
20/4

Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

816 RB
19 APR 2011

RBE/No. 45
S.C.No 27 to M.C. 8/2008

No.E(MPP)/2006/6/11

New Delhi, dated 08.04.2011

NWR The General Manager (P)
All Indian Railways including
Production Units

Sub: Forwarding of Gazette Notifications G.S.R No.734 (E) dated 7th. Sept.2010 regarding

----

A copy of the Notification No. G.S.R No.734(E) published on dated 07.10.2010, in Part II, Section 3, sub-section (i) of the Gazette of India regarding designation of trades for trade apprentices under the Apprentices Act 1961 is enclosed for information, guidance and necessary action.

Please acknowledge receipt.

DA: as above

(Anil Wason)
Deputy Director, (MPP)
Railway Board

No.E(MPP)/2006/6/11

New Delhi, dated 08.04.2011

Copy forwarded for information to:

1. The General Secretary/AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi (with 20 spares)
2. The General Secretary/NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi (With 20 spares)
3. The Members of the Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi((With 90 spares)
4. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (With 5 spares)
5. The Secretary General, FROA, Rail Bhavan, New Delhi(With 5 spares)
6. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8, Ground Floor, Rail Bhavan, New Delhi.

For Secretary, Railway Board.

----2/-

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई/सं. 45
एम.सी. 8/2008 का एस.सी. सं. 27

सं. ई (एमपीपी)/2006/6/11 नई दिल्ली, दिनांकः 08 .04.2011

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषयः दिनांक 7 सितंबर 2010 की राजपत्र अधिसूचना सा.का. नि.सं. 734(ई) का अग्रेषण।

भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 07.10.2010 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.सं. 734 (ई), जो अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिसों के लिए ट्रेडों के पदनामों के बारे में है, की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

कृपया पावती दें।

(अनिल वासन)
उप निदेशक, (एमपीपी)
रेलवे बोर्ड

सलंग्नः यथोक्त।

सं. ई (एमपीपी)/2006/6/11 नई दिल्ली, दिनांकः 08 .04.2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. महासचिव/एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली (20 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. महासचिव/एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (20 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. विभागीय परिषद के सभी सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. महासचिव, फ्रोआ, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. महासचिव, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इंप्लाईज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

ESST-E (MPP)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 2010/भाद्र 17, 1932

No. 499] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2010/BHADRA 17, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 734(अ).— केन्द्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षुता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (तीसरा संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. शिक्षुता नियम, 1992 की अनुसूची 1 में-

(i) समूह सं. 20 के अधीन, क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
"6	पुष्पोत्पादक और भू- दृश्य निर्माणकर्ता	2213.20	1:5	एक वर्ष	पुष्पोत्पादक और भू- दृश्य निर्माण	छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन जीव विज्ञान के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य";

(ii) समूह सं. 23 के अधीन क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
"5	मैकेनिक संचार उपस्कर अनुरक्षण	7244.20	1:5	दो वर्ष	1. मैकेनिक संचार उपस्कर अनुरक्षण 2. मैकेनिक रेडियो और टेलीविजन 3. मैकेनिक सह-प्रचालक इलेक्ट्रोनिक संचार प्रणाली	एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
6.	मैकेनिक रेडियो और टेलीविजन	7243.70	1:5	तीन वर्ष	मैकेनिक रेडियो और टेलीविजन	दो वर्ष	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन एक विषय के रूप में विज्ञान के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।

(iii) समूह सं. 31 में क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के, पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
"6.	मैकेनिक चिकित्सा इलेक्ट्रोनिक्स	7243.30	1: 5	तीन वर्ष	मैकेनिक चिकित्सा इलेक्ट्रोनिक्स	दो वर्ष	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन गणित और विज्ञान के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
7.	मैकेनिक उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स	7243.10	1: 5	तीन वर्ष	मैकेनिक उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स	दो वर्ष	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन गणित और विज्ञान के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य ।
8.	मैकेनिक मैकेट्रोनिक्स	7243.10	1: 5	तीन वर्ष	मैकेनिक मैकेट्रोनिक्स	दो वर्ष	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और

1	2	3	4	5	6	7	8
							गणित के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य";

(iv) समूह सं. 35 के अधीन क्रम संख्यांक 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
"46	मैकेनिक रेडियो, दृश्य-श्रव्य प्रणाली साधित्र	7243.70 7243.90	1:3	दो वर्ष	रेडियो, दृश्य-श्रव्य प्रणाली और साधित्र में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन इलेक्ट्रोनिक्स सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
47.	मैकेनिक, इलेक्ट्रोनिक परीक्षण उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	7243.10	1: 3	दो वर्ष	इलेक्ट्रोनिक्स परीक्षण उपस्कर की मरम्मत और रखरखाव में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन इलेक्ट्रोनिक्स सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
48.	मैकेनिक आटोमोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स	7231.10	1: 3	दो वर्ष	आटोमोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स में इलेक्ट्रोनिक्स की स्कीम में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन इलेक्ट्रोनिक्स सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
49.	मैकेनिक यांत्रिक अनुरक्षण (औद्योगिक आटोमोशन)	7233.38	1: 3	दो वर्ष	आटोमोशन के लिए मैकेनिक यांत्रिक अनुरक्षण की स्कीम में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन औद्योगिक आटोमोशन सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
50.	मैकेनिक वैद्युत अनुरक्षण (औद्योगिक आटोमोशन)	7241.70	1:3	दो वर्ष	आटोमोशन के लिए वैद्युत रखरखाव की स्कीम में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन औद्योगिक आटोमोशन सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।

1	2	3	4	5	6	7	8
51.	पीएलसी प्रचालक	7233.38	1: 3	दो वर्ष	आटोमोशन और पीएलसी की स्कीम में विशिष्टता स्कीम केन्द्र और विशिष्टता स्कीम केन्द्र के उन्नत मोड्यूल के अधीन औद्योगिक आटोमोशन सेक्टर में व्यापकता पर आधारित बुनियादी प्रशिक्षण	एक वर्ष और छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य";

(v) समूह सं. 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के, पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
समूह सं. 36- आतिथ्य व्यापार समूह:							
"1.	पर्यटक परिदर्शक	5113.20	1:7	एक वर्ष	पर्यटक परिदर्शक	छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।
2.	वार्धक्य परिचारक	5131.20	1: 5	एक वर्ष	वार्धक्य देखभाल	छह मास	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 8वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।

(vi) समूह सं. 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के, पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
" समूह सं. 37- कार्यालय प्रबंध व्यापार समूह:							
1.	सचिवालयिक सहायक	4115.10	1: 5	एक वर्ष और छह मास	1. आशुलिपि (अंग्रेजी) 2. सचिवालियिक व्यवसाय	एक वर्ष एक वर्ष	10 + 2 शिक्षा पद्धति के अधीन 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Mechanic Radio and T.V.	7243.70	1:5	Three years	Mechanic Radio and T.V.	Two year	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science as one of the subject or its equivalent.";

(iii) under Group No. 31, after serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
"6.	Mechanic Medical Electronics	7243.30	1:5	Three years	Mechanic Medical Electronics	Two years	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Mathematics and Science or its equivalent.
7.	Mechanic Consumer Electronics	7243.10	1:5	Three years	Mechanic Consumer Electronics	Two year	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Mathematics and Science or its equivalent.
8.	Mechanic Mechatronics	7243.10	1:5	Three years	Mechanic Mechatronics	Two years	Passed 12th class examination under 10+2 system of education with Physics, Chemistry and Mathematics or its equivalent.";

(iv) under Group No. 35, after serial number 45 a nd the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
"46	Mechanic Radio, Audio, Video System and Appliances	7243.70 7243.90	1:3.	Two years	Broad Based Basic Training in Electronics Sector under Centre of Excellence Scheme and Advanced module of Centre of Excellence Scheme in Radio, Audio, Video System and Appliances	One year and six months	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.